विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में चार अध्याय शामिल हैं। अध्याय-I और III क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं (पंरासं) और शहरी स्थानीय निकायों (शस्थानि) के लेखे एवं वित्त के विहंगावलोकन प्रस्तुत करते हैं। अध्याय-II में दो निष्पादन लेखापरीक्षा, एक वृहद अनुच्छेद व तीन लेनदेनों के लेखापरीक्षा अनुच्छेद शामिल हैं तथा अध्याय-IV में दो निष्पादन लेखापरीक्षा, एक वृहद अनुच्छेद व छः लेनदेनों के लेखापरीक्षा अनुच्छेद शामिल हैं जो कि क्रमशः पंरासं तथा शस्थानि के वित्तीय लेनदेनों की लेखापरीक्षा में पाए गए हैं।

इस विहंगावलोकन में इस प्रतिवेदन में सम्मिलित महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सांराश प्रस्तुत है।

(अ) पंचायती राज संस्थाएं

1. पंचायती राज संस्थाओं के लेखे एवं वित्त का विहंगावलोकन

यद्यपि राज्य सरकार ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित सरलीकृत लेखांकन प्रारूपों को स्वीकार कर लिए लिया, पंचायती राज संस्थाएं परम्परागत प्रारूपों में लेखों का संधारण जारी रखे हुए हैं। पंरासं के वित्त के डाटाबेस अभी तक विकसित नहीं किया गया था। पंरासं के विभिन्न स्तरों की प्राप्तियों एवं व्यय के संबंध में राज्य स्तर पर लेखों के समेकन एवं संकलन की कोई प्रणाली नहीं थी।

(अनुच्छेद 1.9.1)

2. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

भरतपुर, बीकानेर, चूरू, दौसा, पाली, सीकर, श्रीगंगानगर तथा टोंक जिलों में सम्पादित सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि गत पांच वर्षों (2004-09) के दौरान निधियों का उपयोजन जिला प्राधिकारियों के पास उपलब्ध निधियों का 40.49 तथा 89.53 प्रतिशत के मध्य रहा जिससे विभिन्न बैंक खातों में बहुत अधिक अन्तिम शेष रहें। बीकानेर जिलें में पूर्ववर्ती राज्यसभा सांसद द्वारा छोड़ गए ₹ 0.54 करोड़ का अव्ययित शेष राज्य के उत्तरवर्ती राज्यसभा सांसदों के मध्य वितरीत नहीं किए गए थे, जिससे वे निष्क्रिय रहे। आगे, लेखापरीक्षा में निधियों के विपथन, कार्यान्वयन अभिकरणों को निर्धारित सीमा से अधिक अग्रिम जारी करने, कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा अव्ययित शेषों को लौटाने का अभाव के दृष्टांत देखे गए। कार्य स्वीकृत करने में विलम्ब के साथ-साथ निर्धारित योजना प्रक्रियाओं का पालन किए बिना कार्य स्वीकृत करने के अनेक दृष्टांत थे। ₹ 1.44 करोड़ 61 कार्यों पर व्यय किए थे जो कि योजना के अन्तर्गत अनुमत्य नहीं थे। निर्धारित सीमा के विरूद्ध तीन न्यासों/समितियों को ₹ 44.48 लाख के अधिक व्यय भी पाए गए।

(अनुच्छेद 2.1)

3. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चूरू, डूंगरपुर, झुन्झुनूं तथा सीकर जिलों में सम्पादित विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि ₹ 17.06 करोड़ के अस्वीकृत शेष जिला प्राधिकारियों के निजी निक्षेप खातों में पड़े थे जिससे वे निष्क्रिय रहे। ₹ 1.75 करोड़ का व्यय 140 अमान्य कार्यों पर किया गया। अनुशंसाएं प्राप्ति की दिनांक से 45 दिवसों की निर्धारित अवधि के बाद ₹ 39.86 करोड़ के 3,047 कार्य एक से 654 दिवसों के विलम्ब से स्वीकृत किए थे। ₹ 6.15 करोड़ की लागत के 421 कार्यों के पूर्ण होने में तीन से 829 दिवसों का विलम्ब था। 53 कार्यों पर ₹ 14.13 लाख के प्रोरेटा प्रभार का अनियमित भुगतान किया गया था। कार्यान्वयन अभिकरणों ने 2,432 कार्यों के लिए ₹ 24.95 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र/पूर्णता प्रमाण-पत्र संबंधित जिला प्राधिकारियों को प्रेषित नहीं किए थे। ₹ 0.90 लाख लागत के संदेहात्मक व्यय तथा दोहरे भुगतान के मामलें थे।

(अनुच्छेद 2.2)

4. पंरासं द्वारा बारहवां वित्त आयोग अनुदान के उपयोजन पर वृहद अनुच्छेद

बारहवें वित्त आयोग (बाविआ) ने 2005-06 से 2009-10 तक की अवधि के लिए राज्य में जलापूर्ति एवं स्वच्छता की सेवाएं प्रदाय के सुधार के लिए पंचायती राज संस्थाओं को ₹ 1,230 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया। उच्च प्राथमिकता आधार मूल स्तर पर डाटाबेस के सृजन तथा लेखों के संधारण के लिए निर्धारित की जानी थी। यह देखा गया कि बाविआ अनुदान जारी करने में सभी स्तरों पर विलम्ब था, मार्च 2010 में योजना की समाप्ति पर भी ₹ 104.38 करोड़ अव्ययित शेष पड़े थे, ₹ 5.29 करोड़ अमान्य कार्यों पर व्यय हुआ था, ₹ 120.19 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र समायोजन के लिए लम्बित थे तथा ₹ 3.66 करोड़ लागत के 851 कार्य एक से पांच वर्षों से अधिक समय से अपूर्ण पड़े थे।

(अनुच्छेद 2.3)

5. लेनदेनों की लेखापरीक्षा

राज्य तथा जिला स्तर पर अनुपयुक्त अनुश्रवण तथा योजना के अभिप्रेत क्रियान्वयन के अभाव के परिणामस्वरूप स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना अन्तर्गत विशेष योजना "वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन" विफल रही तथा ₹ 37.50 लाख का व्यय निष्फल रहा। इसके अलावा, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), जयपुर ₹ 37.80 लाख के केन्द्रीय अनुदान का उपयोग करने में विफल रहा जिसके कारण ₹ 112.95 लाख के केन्द्रीय अनुदान का लाभ उठाने का अभाव रहा।

(अनुच्छेद 2.4)

जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), जयपुर ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत अस्पताल भवन के निर्माण के लिए ₹ 24.97 लाख की निधियां अनियमित रूप से स्वीकृत एवं उपयोजित की।

(अनुच्छेद 2.5)

(ब) शहरी स्थानीय निकाय

6. शहरी स्थानीय निकायों के लेखे एवं वित्त का विहंगावलोकन

2008-09 तथा 2009-10 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों का "निजी राजस्व" उनकी कुल प्राप्तियों का क्रमशः 26.45 प्रतिशत एवं 29.44 प्रतिशत रहा तथा जिससे वे केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के अनुदानों एवं ऋणों पर आश्रित थे। वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के लिए शस्थानि (छः शस्थानि को छोड़कर) के वार्षिक लेखे उपार्जन आधार के बजाए नगद आधार पर परम्परागत प्रारूपों में तैयार किए जा रहे थे।

(अनुच्छेद 3.3.2, 3.3.3 एवं 3.4)

7. नगर निगमों में वित्तीय प्रबन्धन की निष्पादन लेखापरीक्षा

2005-09 के दौरान तीन नगर निगमों (ननि) (जयपुर, जोधपुर एवं कोटा) की वित्तीय प्रबन्धन की निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि ननि अपने राजस्व संशाधनों में वांछित सीमा तक वृद्धि नहीं कर सकीं। बजट और लेखे समय पर तैयार नहीं किए गए थे। निश्चित बकाया राजस्व के संग्रहण में कमी से ₹ 516.02 करोड़ के बकाया संचित हुए। गैर-कर राजस्व के उद्ग्रहण में कमी/अभाव के फलस्वरूप ₹ 22.82 करोड़ की हानि हुई।

(अनुच्छेद 4.1)

8. नगर निगमों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सहित स्वच्छता की निष्पादन लेखापरीक्षा

तीन नगर निगमों, जयपुर, जोधपुर एवं कोटा के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सहित स्वच्छता की निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2000 के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति थी क्योंकि घर-घर से संग्रहण एवं उनका पृथक्कीकरण पूर्णरूप से नही किए गए थे तथा अधिसूचना जारी होने के नौ वर्षों के पश्चात् भी अपशिष्ट के वैज्ञानिक रूप से निस्तारण के लिए स्वास्थ्यकर भूमिभरण स्थापित नहीं किए थे जिसके कारण परिवेशी जल एवं वायु की गुणवत्ता में कमी हुई। कमी के बावजूद, 452 सफाईकर्मी ननि द्वारा कार्यों के अन्य मदों पर विपथित किए गए। ननि, जयपुर द्वारा अधिकतम मात्रा के गलत आकलन के कारण अपशिष्ट के परिवहन के लिए लगाए गए गैर-सरकारी संवेदकों को ₹ 3.47 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ। ननि, जयपुर तथा जोधपुर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा सड़कों/नालियों की सफाई, अपशिष्ट के संग्रहण

तथा परिवहन में लगातार कमी/त्रुटि दोहराने के बावजूद भी संवेदकों के विरूद्ध कार्यवाही करने में विफल रहें।

(अनुच्छेद 4.2)

9. शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बारहवां वित्त आयोग अनुदान के उपयोजन पर वृहद अनुच्छेद

शस्थानि द्वारा बारहवां वित्त आयोग अनुदान के उपयोजन की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि बाविआ अनुदानों के असमान वितरण तथा विलम्ब, बाविआ के दिशा-निर्देशों के विपरीत विपथन तथा अनुमोदित कार्य योजना के विरूद्ध व्यय करने के दृष्टांत थे। उच्च स्तरीय समिति द्वारा बाविआ अनुदानों के उपयोजन पर अनुपयुक्त अनुश्रवण भी देखा गया।

(अनुच्छेद 4.3)

10. लेनदेनों की लेखापरीक्षा

स्वायत्त शासन विभाग की निविदा की वैधता अवधि में निविदा दरों के अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति देने में विफलता के फलस्वरूप नगर परिषद, पाली में नाला के निर्माण पर ₹ 20 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 4.5.1)

नगर निगम, जोधपुर द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन बिना तीन भूखण्डों का भू-उपयोग परिवर्तन आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ अनियमित रूप से भू-खण्डों के सम्पूर्ण क्षेत्र की बजाए केवल निर्मित क्षेत्र के लिए करने के फलस्वरूप ₹ 30.68 लाख का रूपान्तरण प्रभार कम वसूल हुआ।

(अनुच्छेद 4.6)

नगर पालिका मंडल, बांसवाड़ा की दोषी किराएदारों से दुकानों के किराए की वसूली के लिए समय पर एवं प्रभावी कार्यवाही करने में विफलता के फलस्वरूप राशि ₹ 84.88 लाख के बकाया किराए का संचय हुआ।

(अनुच्छेद 4.8)